

बिहार सरकार,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-वि०प्रा०(II) स्था-01/2011

/पटना, दिनांक :-


आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दि०-14/07/10, 8594 दि०-17/08/2012 तथा पत्रांक-5152 दि०-21/05/2013 के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों के निम्नांकित कर्मियों को गठित समिति की अनुशंसा तथा प्रधान सचिव के अनुमोदनोपरांत उनके नाम के सामने कोलम-4 में अंकित तिथि से **ACP/MACP** की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	नाम/पदनाम	सेवा में योगदान कि तिथि	अनुमान्य A.C.P/M.A.C.P का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार, (II) लिपिक, रा०पो०,पटना-7	24.6.1989	(I) प्रथम ACP दि०- 24.06.2001 से 4500-7000 (II) द्वितीय MACP दि०- 23.02.2014 से 9300-34800+4600/-	
2	स्व० सरयुग चौधरी, भू०पू०,लिपिक, रा०पो०,भागलपुर	20.06.1983	(I) प्रथम ACP दि०- 02.08.2007 से 5200-20200+2800/- (II) द्वितीय ACP दि०- 02.08.2007 से 9300-34800+4200/-	
3	श्री मोजफ्फर इस्लाम, प्रयोगशाला सहायक रा०पो०, गया	4.7.1995	वित्त विभागीय पत्रांक-10581 दि०- 1.10.12 द्वारा दि०-01/01/1996 से 4500-7000 के स्थान पर 5000-8000 का वेतनमान अनुमान्य किया गया है जिसके फलस्वरूप दि०-01/01/2006 को <b>PB<sub>2</sub>+4200/-</b> रू० अनुमान्य होगा। विभागीय आदेश ज्ञापांक-3300 दि०- 07/12/10 (क्रमांक-10) द्वारा दि०- 04/07/2007 से प्रदत्त प्रथम ACP <b>5000-8000</b> के स्थान पर <b>PB<sub>2</sub>+4600/-</b> रू० अनुमान्य होगा।	
4	श्री हरीशंकर ओझा, प्रारूपक, न०रा०पो०,पटना-13	12.6.1989	विभागीय आदेश सं०-2036 दि०-30/07/13 के क्रमांक 56 द्वारा दि०-12/6/09 से <b>PB<sub>2</sub>+4600/-</b> में द्वितीय MACP प्रदान की गई थी। प्राचार्य न० रा० पो०, पटना-13 द्वारा दि०-1/1/06 को <b>PB<sub>2</sub>+ 4600/-</b> में संशोधित रूप से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप इन्हें दि०-12/6/09 को प्रदत्त द्वितीय MACP <b>PB<sub>2</sub>+4600</b> के स्थान पर <b>PB<sub>2</sub>+4800</b> अनुमान्य होगा।	

5	श्री भरत पंडित, आशुटकक, रा0 पो0, दरभंगा	19.4.79	वित्त विभागीय सं0 ज्ञापांक-3011 दि0-20/3/12 द्वारा आशुटकक का वेतनमान दि0-1.1.06 को <b>PB<sub>2</sub></b> में 4600/- निर्धारित किया गया है जिसके आलोक में प्राचार्य, रा0पो0, दरभंगा के का0आर0सं0-397 दि0-10/11/12 द्वारा दि0-1/1/06 को इनका वेतन <b>PB<sub>2</sub>+4600/-</b> रू0 संशोधित का निर्धारित किया गया। तदनुसार विभागीय आदेश ज्ञापांक-2036 दि0-30.7.13 (क्रमांक-105) द्वारा दि0-19.4.09 से प्रदत्त III <sup>rd</sup> <b>MACP PB<sub>2</sub>+ 4600/-</b> को संशोधित कर <b>PB<sub>2</sub>+ 4800/-</b> रू0 की जाती है।
---	---	---------	---

2. भविष्य में कोई त्रुटि पाए जाने/उपदर्शित होने पर तदनुसार इसमें आवश्यक संशोधन किया जायगा। तथा इस उन्नयन के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि की वसुली संबंधित कर्मियों से कर ली जायगी।

  
निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक:-

1731 /पटना, दिनांक:-

30/7/15

प्रतिलिपि:- 1. महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित स्थानों के प्राचार्य/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित कर्मियों/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित संस्थानों के प्राचार्य/महाविद्यालयों के प्राचार्य को उनके संबंधित कर्मियों की सेवापुस्त वापस की जाती है।

  
निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

